

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme - NFBS) भारत सरकार द्वारा उन गरीब और कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिनके परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है। यह योजना परिवारों को उस कठिन समय में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जब परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं बचता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) की मुख्य विशेषताएँ:

1. लक्षित लाभार्थी:

यह योजना गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के लिए है। योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है, जिनका मुखिया (आदमी या महिला) की मृत्यु हो चुकी हो। योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से उन परिवारों को मदद करना है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत मृतक व्यक्ति था।

2. आर्थिक सहायता:

इस योजना के तहत, मृतक के परिवार को एक मुश्किल वक्त में आर्थिक मदद दी जाती है। परिवार को ₹20,000 तक की फिक्स्ड सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे मृतक के परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

3. पात्रता मानदंड:

यह योजना उन परिवारों के लिए है, जो बीपीएल (Below Poverty Line) श्रेणी के तहत आते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार, मृतक व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य का आय प्रमाण पत्र और गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मृतक व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाता है, यानी मृतक के परिवार को केवल एक बार सहायता राशि मिलती है।

4. आवेदन प्रक्रिया:

इस योजना के लिए आवेदन जिला प्रशासन या ब्लॉक अधिकारी के पास किया जा सकता है। आवेदन करते समय मृतक व्यक्ति के परिवार को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और बीपीएल कार्ड जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करनी होती हैं। आवेदन के बाद, सक्षम अधिकारियों द्वारा पात्रता की जांच की जाती है और फिर योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जाती है।

5. लाभ:

आर्थिक सुरक्षा: इस योजना के तहत मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे परिवार को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

स्वास्थ्य और शिक्षा: आर्थिक सहायता मिलने से परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अन्य जरूरी खर्चों के लिए वित्तीय सहारा मिलता है।

सामाजिक समृद्धि: यह योजना उन परिवारों को मदद करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं बचता।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ:

मुसीबत में मदद: मृतक के परिवार को एक कठिन समय में आर्थिक मदद मिलती है, जो उनके जीवन को स्थिर करने में मदद करती है।

आर्थिक सहायता: योजना से मिलने वाली राशि परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, ताकि परिवार की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

समानता: योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के परिवारों को समान आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण योजना है, जो देश के गरीब और कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता प्रदान करती है। जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के तहत मिलने वाली ₹20,000 की राशि, परिवार को आर्थिक तंगी से उबारने का काम करती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसने भारत के ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों की जीवनशैली को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।